बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–

संख्या–17/आप्र-01-04/13-560(17)/ अधिसूचना संख्या–559(17) दिनांक–31.7.14 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव।

Government of Bihar
HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 31.7.14

No 17/आप्र-01-04/13-559(17)/ In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate appointment and service-conditions of Doctors of the Mobile Coronary Unit in the Indira Gandhi Institute of Cardiology . –

Chapter – 1: PRELIMINARY

1. **Short title, extent & commencement.**– (1) These Rules may be called as the **"Indira Gandhi Institute of Cardiology Mobile Coronary Unit Service Rules, 2014."**

   (2) It shall extend to the whole State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In these Rules Unless otherwise required in the subject or context -

(i) 'Government' means Bihar State Government ;

(ii) 'Department' means Health Department ;

(iii) 'Commission' means Bihar Public Service Commission;

(iv) 'Service' means Indira Gandhi Institute of Cardiology Mobile Coronary Unit Service ; and

(v) 'Appendix' means appendix appended to these Rules.

3. Constitution of Service .- (1) There shall be a separate unit cadre of Mobile Coronary Unit in the Indira Gandhi Institute of Cardiology, which will be separate from the Indira Gandhi Institute of Cardiology Medical Service.

(2) In this service, the number of category wise posts in each cadre shall be such as may be sanctioned by the government, from time to time.

4. **Chain of posts of Cadre.**- Different categories and chain of posts in this cadre shall be according to Appendix-1 of these Rules.

Chapter – 2 : RECRUITMENT

5. Recruitment .- (1) The appointment in this Service shall be made by direct recruitment to the posts (Medical Officer) of basic category on the basis of recommendation of the Commission.

(2) (a) Minimum educational qualifications shall be as specified in Appendix – 1 :-

Provided that weightage, as per rule 6 (2), will be given to the work experience of Doctors employed on ad-hoc/ contract basis in any government cardiology institute.

(b) It shall be essential for the candidate to have permanent registration by the Medical Council of India or Medical Registration

Council of any state. Maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category wise, from time to time, by the Government. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age:

Provided that maximum age limit may be relaxed according to requirement of work experience.

(3) In case of delay in direct recruitment the Government, in the public interest according to necessity, may appoint suitable doctors on contract basis from outside sources for a limited period, for which the recruitment-procedure shall be decided by the Government.

6. Procedure of Recruitment.- (1) The Department, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition, the Commission shall invite applications by advertising vacancies and shall prepare merit list on following basis :-

(i)	For marks obtained in M.B.B.S. degree	-	45 marks
(ii)	For any diploma obtained from Institution recognized by the Medical Council of India after M.B.B.S. degree	-	05 marks
(iii)	For M.D. /M.S. from Institution recognized by the Medical Council of India	-	10 marks
(iv)	For work experience gained by doctors after appointment on ad-hoc/contract basis, in any Government Institute of Cardiology (5 marks for work experience of each completed year, maximum 25 marks)	-	25 marks
(v)	For Interview	-	15 marks
			Total 100 marks

Note - (a) The marks to be given to a candidate for M.B.B.S. degree shall be determined by multiplying percentage of marks obtained in the aforesaid course's examination by multiple of 0.45. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% X 0.45=22.5 marks.

(b) Minimum qualifying marks will be 30.

(3) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

(4) The Commission shall prepare merit list on the basis of sub-rule(2). After preparation of merit list, preliminary scrutiny of the certificates and medical checkup shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Department, and there-after, reservation categorywise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Department. At the level of Department also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(5) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary.

Chapter - 3:

PROBATION/DEPARTMENTAL EXAMINATION/CONFIRMATION

7. **Probation Period.**- After appointment, the probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Government may terminate the service of such Doctor.

8. **Departmental Examination.**-In addition to complete probation period satisfactorily and completing training

(including treasury training) (if any) satisfactorily, it will also be essential to pass Departmental Examination.

9. **Confirmation.-** On completion of satisfactory probation period, successful completion of training and passing of the Departmental Examination, a Doctor may be confirmed in the Service.

10. **Seniority.-**The inter-se seniority of the Doctors shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

Chapter - 4 : PROMOTION

11. **Promotion.-** (1) Subject to availability of vacancy, confirmed Doctors may be considered to be promoted on higher posts mentioned in Appendix-1, according to seniority-cum-merit.

(2) It shall be necessary to comply instructions issued from time to time retarding to the KALAWADHI.

(3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and character Roll/P.A.R., allegation/departmental proceedings/ criminal proceeding etc., shall be required at the time of consideration of promotion.

12. **Departmental Promotion Committee.-** Promotions may be considerable on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The structure of the Departmental Promotion Committee will be according to the Departmental Promotion Committee constituted by the General Administration Department for Service Departments, from time to time :

Provided that the meeting of the Departmental Promotion Committee to consider promotion in the highest grade-pay shall

be presided over by the Chairman or any Member of the Commission not below the rank of Deputy Secretary.

13. **Dynamic A.C.P.** – (1) After completing six years of service, first Assured Career Progression will be admissible to the Doctors of the Indira Gandhi Institute of Cardiology Mobile Coronary Unit cadre. Second and third Assured Career Progression will be admissible, after getting first Assured Career Progression, at intervals of six years each.

(2) The facility of Dynamic A.C.P. will be admissible up to maximum level of Pay scale of P.B. 4 Grade Pay 8700/-. This facility will be in form of promotion with post.

(3) For Dynamic A.C.P. also, Compliance of pre-conditions shall be necessary, which are applicable to regular promotion.

14. **Medical Superintendent of the Institute.**- (1) The post of Medical Superintendent in the Indira Gandhi Institute of Cardiology shall belong to this cadre, which will be filled from this cadre by Promotion.

Chapter 5: MISCELLANEOUS

15. **Reservation.**- Compliance of Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time, shall be necessary.

16. The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. Doctors already appointed/ promoted and working on the posts of this cadre mentioned in Appendix-1 before coming into force of these Rules shall be deemed to be automatically included in this cadre.

18. In respect of the subjects for which provisions can not be made in these Rules, provisions of relevant codes /Rules /Resolutions / Instructions of the Government shall apply.

19. Removal of difficulties.- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department may remove such difficulty, by notification, which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

20. Interpretation.- If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and the department may take decision in consultation with the Law Department and in this respect decision of the Department shall be final.

21. Repeal & Savings.- (1) The resolutions, orders, instructions, etc. issued earlier, from time to time, by the Department, with respect to this service, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the aforesaid resolutions, orders, instructions, etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date on which such thing was done or such an action was taken.

APPENDIX-1

[See rule 2(v), 4, 16, 17]

Chain of Posts, qualifications, mode of appointment etc of the Indira Gandhi Institute of Cardiology Mobile Coronary Unit Cadre.

Sl no.	Category	Name of Posts	Direct recruitment or promotion	Minimum Qualification/ KALAWADHI	Remarks
1	Basic category	Medical Officer	Direct recruitment	M.B.B.S.	
2	First ladder	Senior Medical Officer	Promotion	KALAWADHI as determined by General Administration Department, from time to time.	
3	Second ladder	Deputy Medical Superintendent, Indira Gandhi Institute of Cardiology	Do	Do	
4	Third ladder	Medical Superintendent, Indira Gandhi Institute of Cardiology	Do	Do	

Note :- The Pay-scale and grade-pay of all the aforesaid posts shall be such as may be determined by the Government, from time to time.

By Order of the Governor of Bihar

(Anand Kishor)
Secretary to Government

ज्ञापांक– 17/3आस्था-01-04/13- 560 (17) पटना, दिनांक– 31.7.14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेपित।

सरकार के सचिव

E/Vimal/New/...avali/ Mobile ... Unit/English

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :– 3/7/14

संख्या 17/आई०-01-04/13-559(17)/ भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार–राज्यपाल एतद् द्वारा इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान (इन्दिरा गाँधी इन्स्टीच्यूट ऑफ कार्डियोलोजी) में मोबाइल कोरोनरी इकाई के चिकित्सकों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय –1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह नियमावली "इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान मोबाइल कोरोनरी इकाई सेवा नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। – इस नियमावली में जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;

(iv) 'सेवा' से अभिप्रेत है इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान मोबाइल कोरोनरी इकाई सेवा ; तथा

(v) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. सेवा का गठन। – (1) इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान में मोबाइल कोरोनरी इकाई की एक अलग सेवा होगी, जो इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा से अलग होगी।

(2) इस सेवा में प्रत्येक सेवा में कोटिवार पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. सेवा के पद–सोपान। –इस सेवा में विभिन्न कोटियाँ एवं पदसोपान इस नियमावली के परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

अध्याय –2 : भर्ती

5. भर्ती। – (1) इस सेवा में नियुक्ति मूल कोटि के पद (चिकित्सा पदाधिकारी) पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

(2) (क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट–1 में यथाविनिर्दिष्ट होगी ;

परन्तु किसी सरकारी हृदय रोग संस्थान में तदर्थ/अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों के कार्यानुभव को नियम–6(2) के अनुसार अधिमानता दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक होगा। अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, निर्धारित की जाय। संबंधित वर्ष की पहली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा ;

परन्तु कार्यानुभव के आवश्यकतानुसार अधिकतम उम्र–सीमा शिथिल की जा सकेगी।

(3) सीधी भर्ती में विलम्ब होने की दशा में, आवश्यकता अनुसार लोक हित में सरकार संविदा के आधार पर, उक्त पदों पर सीमित अवधि के लिए बाह्य स्त्रोतों से उपयुक्त चिकित्सकों की नियुक्ति कर सकेगी जिसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी।

6. **भर्ती की प्रक्रिया।** – (1) विभाग वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(i)	एम०बी०बी०एस० डिग्री में प्राप्तांक के लिए	–	45 अंक
(ii)	(क) एम०बी०बी०एस० की डिग्री के बाद मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त डिप्लोमा के लिए	–	05 अंक
	(ख) मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम०डी०/एम०एस० के लिए	–	10 अंक
(iii)	किसी सरकारी हृदय रोग संस्थान में तदर्थ/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरान्त प्राप्त कार्यानुभव के लिए (कार्यानुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(iv)	साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक

टिप्पणी। – (क) एम०बी०बी०एस० डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण, उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.45 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 % अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.45 = 22.5$ अंक दिये जायेंगे।

(ख) न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

(4) आयोग, उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात, आयोग के द्वारा, विभाग के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात अधिसूचित रिक्तियों के अनुरूप, आरक्षण कोटिवार, अंतिम अनुशंसा विभाग को भेजी जायेगी। विभाग के स्तर पर भी प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त, नियुक्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय –3 : परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

7. **परिवीक्षा अवधि।** –नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो सरकार ऐसे चिकित्सक को सेवा मुक्त कर सकेगी।

8. **विभागीय परीक्षा।** –परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित) (यदि कोई हो) के सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

9. **<u>सम्पुष्टि।</u>** –परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने, प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त चिकित्सक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

10. **<u>वरीयता।</u>** –चिकित्सकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

<u>अध्याय –4 : प्रोन्नति</u>

11. **<u>प्रोन्नति।</u>** –(1) सेवा में सम्पुष्ट चिकित्सकों को, पद की उपलब्धता के अधीन रहते हुए एवं वरीयता सह–योग्यता के अनुसार, परिशिष्ट–1 के अनुसार, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति संबंधी और चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी० ए० आर०), आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार करते समय, अनुपालन करना आवश्यक होगा।

12. <u>विभागीय प्रोन्नति समिति।</u> – विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर सेवा–विभागों के लिए अनुदेशित विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुरूप होगा ;
परन्तु अधिकतम ग्रेड–पे के पदों पर प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या उप सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

13. **<u>डायनेमिक ए० सी० पी०।</u>** –(1) इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान मोबाइल कोरोनरी इकाई संवर्ग के चिकित्सकों को छह वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्य होगा। द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन, प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद, छह–छह वर्षों के समान अन्तराल के पश्चात, अनुमान्य होगा।

(2) डायनेमिक ए० सी० पी० की सुविधा अधिकतम पी० बी० 4 ग्रेड–पे 8700/– के वेतनमान तक अनुमान्य होगी। यह सुविधा पद सहित प्रोन्नति के रूप में होगी।

(3) डायनेमिक ए० सी० पी० के लिए भी उन पूर्व–शर्तों का अनुपालन आवश्यक होगा जो नियमित प्रोन्नति के लिए लागू हैं।

14. **संस्थान का चिकित्सा अधीक्षक।** –(1) इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान में चिकित्सा अधीक्षक का पद इस संवर्ग का होगा जिसे इस संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

<u>अध्याय –5 : प्रकीर्ण</u>

15. **<u>आरक्षण।</u>** – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय–समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु, निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट – 1 में उल्लिखित पद–सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होंगे। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में, सरकार द्वारा परिशिष्ट –1 में उल्लिखित पद–सोपान में कोई उपांतरण या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट –1 तदनुसार उपांतरित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा उपांतरित/संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का भाग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट –1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत चिकित्सक स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

18. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. <u>कठिनाई का निराकरण। –</u>यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग किसी कठिनाई का निराकरण अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकेगा।

20. <u>निर्वचन। –</u>यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और विभाग विधि विभाग के परामर्श से निर्णय ले सकेगा और इस सम्बन्ध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

21. <u>निरसन एवं व्यावृत्ति। –</u>(1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत संकल्प, आदेश अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट – 1

[नियम 2(v), 4, 16, 17 द्रष्टव्य]

इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान मोबाइल कोरोनरी इकाई संवर्ग के पदसोपान, अर्हताएँ, भर्ती का ढंग, आदि।

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	न्यूनतम अर्हता/कालावधि	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	चिकित्सा पदाधिकारी	सीधी भर्ती	एम० बी० बी० एस०	
2	प्रथम सोपान	वरीय चिकित्सा पदाधिकारी	प्रोन्नति	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित कालावधि	
3	द्वितीय सोपान	उप चिकित्सा अधीक्षक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान	तदैव	तदैव	
4	तृतीय सोपान	चिकित्सा अधीक्षक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान	तदैव	तदैव	

नोट :–उपर्युक्त पदों का वेतनमान एवं ग्रेड पे वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आनन्द किशोर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 559(17) पटना, दिनांक :– 31-7-14

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।